



भारत का राजपत्र The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 34] नई दिल्ली, शनिवार, अगस्त 20—अगस्त 26, 2005 (श्रावण 29, 1927)
No. 34] NEW DELHI, SATURDAY, AUGUST 20—AUGUST 26, 2005 (SRAVANA 29, 1927)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग III—खण्ड 4

[PART III—SECTION IV]

[सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई विविध अधिसूचनाएं जिसमें कि आदेश, विज्ञापन और सूचनाएं सम्मिलित हैं]
[Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by
Statutory Bodies]

कर्मचारी राज्य बीमा निगम

नई दिल्ली, दिनांक 5 जुलाई 2005

सं. यू.16/53/2002-(राज.)/चिकित्सा-2--कर्मचारी राज्य बीमा (साधारण) विनियम, 1950 के विनियम-105 के अधीन निगम की शक्तियां महानिदेशक को प्रदान करने के संबंध में कर्मचारी राज्य बीमा निगम की दिनांक 25 अप्रैल, 1951 को हुई बैठक में पारित किए गए संकल्प के अनुसरण में तथा महानिदेशक के आदेश संख्या 1024(जी) दिनांक 23.5.1983 द्वारा ये शक्तियां आगे मुझे सौंपी जाने पर मैं इसके द्वारा डॉक्टर ए. के. माथुर, अंशकालीन चिकित्सा निर्देशी को मानकों के अनुसार देय पारिश्रमिक पर दिनांक 2.1.2005 से 1.1.2006 तक या पूर्णकालिक चिकित्सा निर्देशी के कार्यग्रहण करने तक, जो भी पूर्व हो, को पाली केन्द्र, राजस्थान के बीमाकृत व्यक्तियों की स्वास्थ्य परीक्षा करने तथा मूल प्रमाण-पत्र

की सत्यता संदिग्ध होने पर उन्हें आगे प्रमाण-पत्र जारी करने के प्रयोजन के लिए प्राधिकृत करती हूं।

डॉ. कमलेश कालरा
चिकित्सा आयुक्त

संशोधन

सं. ए-33(11)1/2003-चिकि.4--कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) की धारा 97 की उप धारा (2क) के साथ पठित धारा 97 की उप धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा 'प्रधान लाण्डी आपरेटर' के पद के मौजूदा भर्ती विनियमों के अधिक्रमण, मैं निगम, भारत के राजपत्र के भाग-3 के खंड-4 में प्रकाशित दिनांक 23.08.1997 की अधिसूचना संख्या ए-12/11(3)/97-नि.चि. (मुख्यालय) के तहत प्रकाशित अनुसूची की क्रम संख्या 70 (कालम 9) के उपबंधों में संलग्न संशोधित अनुसूची के अनुसार संशोधन करता हूँ।

डॉ. कमलेश कालरा
चिकित्सा आयुक्त

नई दिल्ली, दिनांक 4 जुलाई 2005

सं. यू.16/53/2001-चिकित्सा-2-(गुजरात)--कर्मचारी राज्य बीमा (साधारण) विनियम, 1950 के विनियम-105 के अधीन निगम की शक्तियां महानिदेशक को प्रदान करने के संबंध में कर्मचारी राज्य बीमा निगम की दिनांक 25 अप्रैल, 1951 को हुई बैठक में पारित किए गए संकल्प के अनुसरण में तथा महानिदेशक के आदेश संख्या 1024(जी) दिनांक 23.5.1983 द्वारा ये शक्तियां आगे मुझे सौंपी जाने पर मैं इसके द्वारा निम्नलिखित डॉक्टर को मानकों के अनुसार देय पारिश्रमिक पर निम्नलिखित तिथि तक एक वर्ष के लिए पूर्णकालिक चिकित्सा निर्देशी के कार्यग्रहण करने तक, जो भी पूर्व हो, को राजकीय चिकित्सा आयुक्त, अहमदाबाद द्वारा निर्धारित क्षेत्र के लिए बीमाकृत व्यक्तियों की स्वास्थ्य परीक्षा करने तथा मूल प्रमाण-पत्र की सत्यता संदिग्ध होने पर उन्हें आगे प्रमाण-पत्र जारी करने के प्रयोजन के लिए प्राधिकृत करती हूँ :-

डॉक्टर का नाम, अवधि तथा केन्द्र का नाम

डॉ. डी. एम. खालसा, 3.5.2005 से 2.5.2006--बदोदरा

डॉ. कमलेश कालरा
चिकित्सा आयुक्त

दिनांक 14 जुलाई 2005

सं. यू.16/53/2005/(केरल)-चिकित्सा-2--कर्मचारी राज्य बीमा (साधारण) विनियम, 1950 के विनियम-105 के अधीन निगम की शक्तियां महानिदेशक को प्रदान करने के संबंध में कर्मचारी राज्य बीमा निगम की दिनांक 25 अप्रैल, 1951 को हुई बैठक में पारित किए गए संकल्प के अनुसरण में तथा महानिदेशक के आदेश संख्या 1024(जी) दिनांक 23.5.1983 द्वारा ये शक्तियां आगे मुझे सौंपी जाने पर मैं इसके द्वारा निम्नलिखित डॉक्टर को मानकों के अनुसार देय पारिश्रमिक पर निम्नलिखित तिथि तक एक वर्ष के लिए पूर्णकालिक चिकित्सा निर्देशी के कार्यग्रहण करने तक, जो भी पूर्व हो, को राजकीय चिकित्सा आयुक्त, केरल द्वारा निर्धारित क्षेत्र के लिए बीमाकृत व्यक्तियों की स्वास्थ्य परीक्षा करने तथा मूल प्रमाण-पत्र की सत्यता संदिग्ध होने पर उन्हें आगे प्रमाण-पत्र जारी करने के प्रयोजन के लिए प्राधिकृत करती हूँ :-

डॉक्टर का नाम, अवधि तथा केन्द्र का नाम

डॉ. एम. जी. येसुदासन, 1.6.2005 से 31.5.2006--कोट्टयुरुक्का

डॉ. कमलेश कालरा
चिकित्सा आयुक्त

दिनांक 25 जुलाई 2005

सं. यू.16/53/पीटीएमआर/2002/चि.शा.3/आ.प्र.--कर्मचारी राज्य बीमा (साधारण) विनियम, 1950 के विनियम-105 के अधीन निगम की शक्तियां महानिदेशक को प्रदान करने के संबंध में कर्मचारी राज्य बीमा निगम की दिनांक 25 अप्रैल, 1951 को हुई बैठक में पारित किए गए संकल्प के अनुसरण

में तथा महानिदेशक के आदेश संख्या 1024(जी) दिनांक 23.5.1983 द्वारा ये शक्तियां आगे मुझे सौंपी जाने पर मैं इसके द्वारा निम्नलिखित डॉक्टरों को मानकों के अनुसार देय पारिश्रमिक पर निम्नलिखित तिथि तक एक वर्ष के लिए पूर्णकालिक चिकित्सा निर्देशी के कार्यग्रहण करने तक, जो भी पूर्व हो, को राजकीय चिकित्सा आयुक्त, हैदराबाद द्वारा निर्धारित क्षेत्र के लिए बीमाकृत व्यक्तियों की स्वास्थ्य परीक्षा करने तथा मूल प्रमाण-पत्र की सत्यता संदिग्ध होने पर उन्हें आगे प्रमाण-पत्र जारी करने के प्रयोजन के लिए प्राधिकृत करती हूँ :-

क्र. सं., नाम, अवधि तथा केन्द्र का नाम

1. डॉ. एम. प्रवीण कुमार कार्यग्रहण तिथि से एक साल तक सिकन्दराबाद और हैदराबाद
2. डॉ. टी. पुष्पनादम कार्यग्रहण तिथि से एक साल तक--श्रीरामनगर, नैलीमारला, विजयनगरम चिटीवासला एवं विशाखापट्टनम

डॉ. कमलेश कालरा
चिकित्सा आयुक्त

सं. ए-12(11)-1/94-चि.4--कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) की धारा 97 की उप धारा (2क) के साथ पठित धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निगम एतद्वारा, मुख्य नर्सिंग अधिकारी के पद पर भर्ती पद्धति को विनियमित करते हुए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात् :

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

(क) ये विनियम कर्मचारी राज्य बीमा निगम (मुख्य नर्सिंग अधिकारी) भर्ती विनियम, 2005 कहे जायेंगे।

(ख) ये शासकीय राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।

2. पदों की संख्या, वर्गीकरण एवं वेतनमान

उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनसे सम्बद्ध वेतनमान इन विनियमों के साथ संलग्न अनुसूची के कॉलम 2 से 4 में विनिर्दिष्ट अनुसार होंगे।

3. भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं आदि

उक्त पदों की भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य मामले इन विनियमों के साथ संलग्न अनुसूची के कॉलम 5 से 14 विनिर्दिष्ट अनुसार होंगे।

4. निरर्हता

ऐसा कोई व्यक्ति :-

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह करने का इकरार किया है जिसका विवाहिती जीवित है, अथवा

(ख) जिसने अपने विवाहिती के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है अथवा विवाह करने का इकरार किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा/होगी। परन्तु यदि निगम के महानिदेशक इस बात से संतुष्ट हैं कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति अथवा विवाह की दूसरी पार्टी पर लागू वैयक्तिक कानून के अंतर्गत अनुमेय है अथवा ऐसा करने के अन्य आधार भी हैं तो वे किसी व्यक्ति को इस विनियम से छूट दे सकते हैं।

व्यक्तियों के वर्ग के संबंध में इन विनियमों के किसी भी उपबंध में आदेश द्वारा ढील दे सकते हैं।

6. अपवाद

इन विनियमों की कोई बात ऐसे आरक्षणों, आयु सीमा में ढील और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों के अनुरूप अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, भूतपूर्व सैनिक और व्यक्तियों के अन्य वर्गों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

5. ढील देने की शक्ति

जहां निगम के महानिदेशक की राय में ऐसा करना आवश्यक है अथवा कालोचित है तो वे अध्यक्ष, क.रा.बी. निगम से पूर्व अनुमोदन लेने के पश्चात् तत्संबंधी कारणों को लेखबद्ध करके किसी श्रेणी अथवा

(अपठनीय)

महानिदेशक

संगठन : कर्मचारी राज्य बीमा निगम

मुख्य नर्सिंग अधिकारी के पद के भर्ती विनियम

पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	क्या चयन पद है अथवा गैर-चयन
1	2	3	4	5
मुख्य नर्सिंग अधिकारी	1 (2005) कार्यभार के आधार पर परिवर्तनीय	ग्रुप 'क' गैर-लिपिकीय	10000-325- 15200/- रु.	चयन
सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा	क्या सेवा के जोड़े गए वर्षों का लाभ स्वीकार्य है।	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	क्या सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए निर्धारित आयु और शैक्षिक योग्यताएं पर भी लागू होंगी	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो
6	7	8	9	10
लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	शून्य
भर्ती की पद्धति। क्या सीधी भर्ती/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रतिशतता	पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती के मामले में वे ग्रेड जिनसे पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाना है।	विभागीय पदोन्नति समिति है तो उसका गठन क्या है	परिस्थितियां, जिनमें भर्ती करते समय संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाना है।	
11	12	13	14	
पदोन्नति द्वारा जिसके न होने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा	पदोन्नति 8000-13500/- रुपये के वेतनमान में ग्रेड में 5 वर्ष की नियमित सेवा वाले नर्सिंग अधीक्षक	ग्रुप "क" विभागीय पदोन्नति समिति (पदोन्नति के लिए) 1. अध्यक्ष/सदस्य, संघ लोक सेवा आयोग --अध्यक्ष 2. महानिदेशक, क.रा.बी. निगम --सदस्य	प्रतिनियुक्ति पर अधिकारी को नियुक्त करते समय और इन नियमों के किसी उपबंध में संशोधन ढील देते समय संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श	

11	12	13	14
<p>टिप्पणी : 1 पदोन्नति के लिए अधिकारियों के पास किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से नर्सिंग शिक्षा और प्रशासन में डिप्लोमा अथवा नर्सिंग में स्नातक डिग्री अथवा समकक्ष होनी चाहिए और वह पंजीकृत नर्स तथा मिड वाइफ हो।</p>	<p>टिप्पणी : 2 : यदि अर्हक/पात्रता सेवा पूरी कर चुके कनिष्ठ कर्मचारियों के नाम पर पदोन्नति के लिए विचार किया जायेगा बशर्ते कि उनकी अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा के आधे से अधिक अथवा 2 वर्ष, जो भी कम हो, से कम न हो और उन्होंने ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा पूरी पर चुके अपने कनिष्ठ कर्मचारियों के साथ अगले उच्च ग्रेड में पदोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।</p>	<p>3. चिकित्सा आयुक्त, क.रा.बी. निगम --सदस्य</p> <p>4. चिकित्सा आयुक्त, क.रा.बी. अस्पताल --सदस्य</p> <p>ग्रुप "क" विभागीय पदोन्नति समिति (प्रतिनियुक्ति के लिए)</p> <p>1. महानिदेशक, क.रा.बी. निगम --सदस्य</p> <p>2. महानिदेशक, क.रा.बी. निगम --सदस्य</p> <p>2. निदेशक, चिकित्सा दिल्ली, क.रा.बी. निगम --सदस्य</p>	<p>आवश्यक।</p>
<p>प्रतिनियुक्ति :</p>	<p>केन्द्रीय/राज्य सरकारों/शिक्षा संस्थानों के अधिकारी :</p>		
<p>(क)</p>	<p>1. मूल संवर्ग/विभाग में नियमित आधार पर सदृश पदधारी; अथवा</p> <p>2. मूल संवर्ग/विभाग में 8000-135000/- रुपये अथवा समकक्ष वेतनमान में नियमित आधार पर नियुक्ति होने के पश्चात् ग्रेड में 5 वर्ष की सेवा की हो; अथवा</p> <p>3. मूल संवर्ग/विभाग में 7500-12000/- रुपये अथवा समकक्ष वेतनमान में नियमित आधार पर नियुक्ति होने के पश्चात् ग्रेड में 6 वर्ष की सेवा की हो; अथवा</p> <p>4. मूल संवर्ग/विभाग में 6500-10500/- रुपये अथवा समकक्ष वेतनमान में नियमित आधार पर नियुक्ति होने के पश्चात् ग्रेड में 8 वर्ष की सेवा की हो; अथवा</p>		
<p>(ख) निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएं और आवश्यक अनुभव रखने वाले</p>	<p>1. मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से नर्सिंग में एम.एस.सी. डिग्री अथवा समकक्ष।</p>		

11	12	13	14
	<p>2. पंजीकृत नर्स और पंजीकृत मिडवाइफ हो।</p> <p>3. अस्पताल में कम से कम 5 वर्ष के प्रशासनिक अनुभव सहित 8 वर्ष का अनुभव।</p> <p>फीडर श्रेणी में विभागीय अधिकारी जो सीधे पदोन्नति की सूची में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होंगे।</p> <p>इसी तरह प्रतिनियुक्ति अधिकारी पदोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होंगे। इसी अथवा किसी अन्य संगठन/केन्द्रीय सरकार के विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले अन्य संवर्ग वाह्य पद में प्रतिनियुक्ति की अवधि सहित प्रतिनियुक्ति की अवधि सामान्यतः चार वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति हेतु अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p>		

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय

दिनांक 5 अगस्त 2005

नई दिल्ली-110068, दिनांक 2 अगस्त 2005

सं. प्रशा(जी)/एसटी/9/2004/192--इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के अधिनियम, 1985 (1985 की सं. 50) के अनुभाग 25(2) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए विश्वविद्यालय के प्रबंध बोर्ड ने 16.11.2004 को आयोजित अपनी 81वीं बैठक में संविधि 9क में संशोधन करते हुए इग्नू अधिनियम की संविधि 9क के खंड क के अंतर्गत उपखंड (कक) जोड़कर शोध परिषद् को विश्वविद्यालय का एक प्राधिकार घोषित किया है।

इसे कुलाध्यक्ष के रूप में भारत के राष्ट्रपति अनुसोदन प्राप्त है। यह अनुसोदन मानव संसाधन विकास मंत्रालय के दिनांक 14 जुलाई, 2005 के पत्र सं. एफ. 5-98/200-डेस्क (यू)(ए) द्वारा प्राप्त हुआ है।

संविधिक 9क--शैक्षिक परिषद् की शक्तियां

संविधिक 9क--निम्नलिखित खंड को जोड़ने के बाद संविधि इस प्रकार पढ़ी जाएगी :

(कक) 'संविधिक द्वारा शोध परिषद् को इग्नू अधिनियम के अनुभाग 16 के अंतर्गत इग्नू का "प्राधिकार" घोषित किया गया है।'

ए. एस. नारंग
कुलसचिव (प्रशा.)

नं. 13 सी.ए./परीक्षा/आई.एस.ए./एस/2005--चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स रेगुलेशन 1988 (जो अधिसूचना संख्या-1सी.ए.(7)/59/2001 दिनांक 28 सितम्बर, 2001 के द्वारा संशोधित किया गया) के नियम-7, अनुसूची 'एफ' के रेगुलेशन 204 के अनुसार दि कांसिल ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट ऑफ इंडिया को अधिसूचना जारी करने में प्रसन्नता है कि इनफोरमेशन सिस्टम आडिट कोर्स की निर्धारण परीक्षा (असेसमेन्ट टैस्ट) दिनांक 24.09.2005 को सत्र 8 बजे प्रातः से 12 बजे दोपहर, को निम्नलिखित केन्द्रों जिनको कि दो श्रेणियों में विभाजित किया गया है पर होगी। बशर्ते कि प्रत्येक केन्द्र में परीक्षा के लिए पर्याप्त संख्या में परीक्षार्थी निवेदन करते हैं।

श्रेणी-I (प्रथम) (परीक्षा केन्द्र जिनमें आई.एस.ए. परीक्षा होगी)

परीक्षा केन्द्र :--

1. आगरा
2. अहमदाबाद
3. औरंगाबाद
4. बैंगलोर
5. भंडिडा
6. भुवनेश्वर
7. चंडीगढ़

The 11th July 2005

No. U-16/53/2003/Med.II(Guj).—In pursuance of the resolution passed by ESI Corporation at its meeting held on 25.4.1951 conferring upon the Director General the powers of the Corporation under Regulation 105 of the ESI (General) Regulation, 1950 and such powers further delegated to me vide Director General's Order No. 1024(G) dated 23.5.1983, I hereby authorize the following doctors to function as Medical Authority at a monthly remuneration in accordance with the norms w.e.f. the date given below for one year or till a full time Medical Referee joins, whichever is earlier, for centres as stated below for areas to be allocated by State Medical Commissioner, Ahmedabad for the purpose of medical examination of the insured persons and grant of further certificates to them when the correctness of the original certificate is in doubt.

Name	Period	Name of Centre
Dr. D. M. Khalsa	3.5.2005 to 2.5.2006	Vadodara

Dr. KAMLESH KALRA
Medical Commissioner

The 14th July 2005

No. U-16/53/1/2005/Kerala-Med.2.—In pursuance of the resolution passed by ESI Corporation at its meeting held on 25.4.1951 conferring upon the Director General the powers of the Corporation under Regulation 105 of the ESI (General) Regulation, 1950 and such powers further delegated to me vide Director General's Order No. 1024(G) dated 23.5.1983, I hereby authorize the following doctor to function as Medical Authority at a monthly remuneration in accordance with the norms w.e.f. the date given below for one year or till a full time Medical Referee joins, whichever is earlier, for centres as stated below for areas to be allocated by State Medical Commissioner, Kerala for the purpose of medical examination of the insured persons and grant of further certificates to them when the correctness of the original certificate is in doubt.

Name of the Doctor	Period	Name of Centre
Dr. M. G. Yesudasan	1.6.2005 to 31.5.2006	Kottarakkara

Dr. KAMLESH KALRA
Medical Commissioner

The 25 July, 2005

No. U-16/53/PTMR/2002-Med.III(A.P).—In pursuance of the resolution passed by ESI Corporation at its meeting held on 25.4.1951 conferring upon the Director General the powers of the Corporation under Regulation 105 of the ESI (General) Regulation, 1950 and such powers further delegated to me vide Director General's Order No. 1024(G) dated 23.5.1983, I hereby authorize the following doctors to function as Medical Authority at a monthly remuneration in accordance with the norms w.e.f. the date given below for

one year or till a full time Medical Referee joins, whichever is earlier, for centres as stated below for areas to be allocated by State Medical Commissioner, Hyderabad for the purpose of medical examination of the insured persons and grant of further certificates to them when the correctness of the original certificate is in doubt.

Name	Period	Name of Centre
1. Dr. M. Praveen Kumar	One year from Date of Joining	Secunderabad & Hyderabad
2. Dr. T. Pushpanadham	One year from Date of Joining	Sreeramnagar, Nellimarla Vizianagaram, Chittivasla & Visakhapatnam

Dr. KAMLESH KALRA
Medical Commissioner

No. A-12(11)-1/94-Med.IV.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 97 read with sub-section 2(A) of the same section of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), the Corporation hereby makes the following regulations regulating the method of recruitment for the post of Chief Nursing Officer, namely :—

1. Short Title and commencement

- (i) These regulations may be called the Employees' State Insurance Corporation (Chief Nursing Officer) Recruitment Regulations, 2005.
- (ii) They shall come into force on the date of their publication in the official Gazette.

2. Number of post, Classification and Scale of Pay

The number of said posts, their classification and the scale of pay attached thereto shall be as specified in columns 2 to 4 of the schedule annexed to these regulations.

3. Method of Recruitment, age limit, qualification etc.

The method of recruitment to the said posts, age limit, qualifications and other matters connected therewith, shall be as specified in columns 5 to 14 of the schedule annexed to these regulations.

4. Disqualification

No person :

- (a) Who has entered into or contracted marriage with person having a spouse living or
- (b) Who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said posts. Provided that the Director General, may if satisfied that such marriage is permissible under personal law applicable to such persons and other party to the marriage and that there are other grounds for doing so, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax

Where the Director General of the Corporation is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, he may, by order, for reasons to be recorded in writing and after obtaining specific prior approval of the Chairman,

ESI Corporation relax any of the provision of the regulations with respect to any class of category of person.

6. Savings

Nothing in these regulations shall affect reservation, relaxation of age limit an other concession required to be provided for the scheduled caste, the Scheduled Tribe, Ex-serviceman an other special categories of person in accordance with the order issued by the Central Govt. from time to time in this regard.

Sd/- ILLEGIBLE
Director General

INDIRA GANDHI NATIONAL OPEN UNIVERSITY

New Delhi-110068, the 2nd August 2005

No. IG/Admn(G)/St.9/2004/192—In exercise of the powers vested in it, under the provisions of Section 25(2) of the IGNOU Act, 1985 (No. 50 of 1985), the Board of Management of the University, at its 81st meeting held on 16.11.2004 had made amendments to Statute 9A declaring Research Council as an Authority of the University by adding a sub-clause (aa) below clause (a) of Statute 9A of IGNOU Act. This has the approval of the President of India in his capacity as Visitor as conveyed under the Ministry

of Human Resource Development letter No. F.5-98/2004-Desk(U) (A) dated 14th July, 2005.

Statute 9A-Power of the Academic Council

Statute 9A-After adding the following clause, the Statute reads as under :

(aa) The Research Council is declared by this Statute as an 'authority' of the IGNOU under Section 16 of the IGNOU Act.'

A. S. NARANG
Registrar (Admn.)

RECRUITMENT RULES FOR THE POST OF CHIEF NURSING OFFICER

Name of Post	No. of posts	Classification	Scale of pay (Rs.)	Whether Selection or non-selection	Age limit for direct recruits	Whether benefit of added years of service admissible	Educational and Other qualification required for direct Recruits	Whether age & EQ prescribed for Direct Recruits will apply in the case of promotees
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Chief Nursing Officer	1 (2005) Subject to variation dependent on workload	Group A Non-Ministerial	10000-325-15200	Selection	NA	NA	NA	NA
Period of Probation if any		Method of Rectt. Whether by DR or by Promotion or by Deputation/Absorption & % of the posts to be filled by various methods		In case of Rectt. by Promotion/deputation/absorption grades from which promotion/Deputation/Absorption to be made		If a DPC exists, what is its composition		Circumstances in which UPSC to be consulted in making Rectt.
10		11		12		13		14
NIL	Promotion failing which by Deputation	PROMOTION		Nursing Superintendent in the scale of pay of Rs. 8000-13500/- with five year Regular service in the grade. Note : 1 : For promotion, the officers should posses at least a diploma in nursing education and administration or a bachelor's degree in nursing from a recognised University/institute or equivalent and should be a registered Nurse and Midwife. Note : 2 : Where Juniors		Group "A" DPC (For Promotion) : 1. Chairman/Member, UPSC—Chairman 2. Director General, ESIC—Member 3. Medical Commissioner ESIC—Member		Consultation with UPSC necessary while appointing officer on deputation and for amending/Relaxing any provision of these rules.

10		11		12		13		14
----	--	----	--	----	--	----	--	----

who have completed their qualifying/eligibility service are being considered for promotion. Their senior would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying/eligibility service by more than half of such qualifying/eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying/eligibility service.

DEPUTATION:

Officers under the central/State Govts./Teaching Institution:

(a) (i) Holding analogous post on regular basis in the parent cadre/Department; or
(ii) With five years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in the scale of pay of Rs. 8000—13500/- or equivalent in the parent cadre/department; or

(iii) With six years service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in the scale of pay of Rs. 7500—12000/- or equivalent in the parent cadre/Department; or

(iv) With eight years' service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in the scale of pay of Rs. 6500—10500/- or equivalent in the parent cadre/department; and

(b) Possessing the following education Qualifications and experience :

Essential

(i) M. Sc. Degree in Nursing from a recognized University or equivalent.

(ii) Should be a registered nurse and registered Midwife.

(iii) eight years' experience including at least five years' administrative experience in a Hospital. The Departmental Officers in the feeder category who are in the direct line of promotion will not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly deputationist shall not be eligible for consideration for appointment by promotion-period of deputation including period of deputation in another Ex-Cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other Organisation/Department of the Central Govt. shall ordinarily not to exceed four years. The maximum age limit for appointment by deputation shall be not exceeding 56 years as on the closing date of the receipt of applications.

4. Medical Supdt. ES1 Hospital—Member Group "A" DPC (For Promotion) : 1. Director General, ESIC— Chairman 2. Medical Commissioner, ESIC—Member 3. Director Medical, Delhi, ESIC—Member

THE INSTITUTE OF CHARTERED ACCOUNTANTS OF
INDIA

New Delhi-110002, the 5th August 2005

No. 13-CA (Exam)/ISA/S/2005.—In pursuance of Rule 7 of Schedule I to Regulation 204 of the Chartered Accounts Regulations, 1988 (as amended vide Notification No. 1-CA (7)/59/2001 dated 28th September, 2001), the Council of the Institute of Chartered Accountants of India is pleased to notify that the Information Systems Audit (ISA) Course Assessment Test will be held on 24th September, 2005 from 8.00 AM to 12.00 Noon at the following centres provided that sufficient number of candidates offer themselves to appear from each centre which are divided into two categories as detailed below:—

EXAMINATION CENTRES :

CATEGORY - I

(Centres at which ISA AT would be held)

1. Agra
2. Ahmedabad
3. Aurangabad
4. Bangalore
5. Bhatinda
6. Bhubaneswar
7. Chandigarh
8. Chennai
9. Coimbatore
10. Delhi/New Delhi
11. Eranakulam
12. Hyderabad
13. Indore
14. Jaipur
15. Jalandhar
16. Kanpur
17. Kolhapur
18. Kolkata
19. Kota
20. Lucknow
21. Ludhiana
22. Madurai
23. Mumbai
24. Nagpur
25. Nashik
26. Patna
27. Pune

28. Raipur
29. Rajkot
30. Salem
31. Surat
32. Thrissur (Trichur)
33. Udaipur
34. Varanasi
35. Vijayawada
36. Visakhapatnam

CATEGORY - II

(Centre at which ISA AT would be held subject to a minimum of 25 candidates opting to appear from this centre).

1. Rewari

The candidates who opt for a centre mentioned under Category-II would be required to give one or two alternative centres in order of preference from centres mentioned under Category I. In the event of a minimum of 25 candidates not opting for a centre mentioned under Category II, candidates who had opted for the said centre would be allotted to the centre of their choice in order of preference in Category I as mentioned in their application form. If any candidate who has opted for a centre in Category II has not given his option for any alternate centre in Category I, he will be allotted to any of the nearest centre in Category I as per the discretion of the Institute.

The Council reserves the right to withdraw any centre at any stage without assigning any reason. The above test is open only to eligible Members of the Institute who are already registered with the Institute for the said course. The fees payable for the above Assessment Test is Rs. 1000/-.

Payment of fees for the Assessment Test should be made only by Demand Draft. The Demand Draft may be of any Scheduled Bank and should be drawn in favour of the Secretary, The Institute of Chartered Accountants of India, payable at New Delhi only. Application together with the prescribed fee be sent so as to reach the Joint Secretary (Exams) at New Delhi on or before 1st September 2005.

Applications for admission to the Assessment Test is required to be made in the prescribed form which may be obtained from the Joint Secretary (Exams), The Institute of Chartered Accountants of India, Indraprastha Marg, New Delhi-110 002 on payment of Rs. 25/- per application form. The forms are also available in the Regional and Branch Offices of the Institute and can be obtained on cash payment on or from 11th August 2005. Alternatively,